न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री महेन्द्र सोनी**
आई.ए.एस.

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
भाखरा पुत्र जामता जाति विश्नोई निवासी भालनी तहसील बागोडाजिला जालोर		1.श्री हरलाल पुत्र जामता 2.श्री बीरबल पुत्र जामता 3.श्री छोकला पुत्र जामता 4.श्री कसना पुत्र जामता 5.श्री ठाकरा पुत्र जामता 6.श्री मूंगा पुत्र जामता 7.श्री लादा पुत्र जामता 8.श्री हुकमाराम पुत्र हरीगाराम जातियान विश्नोई निवासीगण भालनी तहसील बागोडा जिला जालोर 9.सरकार जरिए, तहसीलदार बागोडा

प्रकरण संख्या अपील **02/2018**

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

.....

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-
1-श्री जगदीश गोदारा अभिभाषक अपीलांट
2-श्री निखिल कुमार दवे अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3-श्री छोटूसिंह सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-02.09.2019

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बागोडा के आदेश दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।जो राजस्व प्रकरण प्रशासन गांवो के संग अभियान 2015 में खातेदार हरलाल पुत्र जामता वगैराह साकिन भालनी में अर्न्तगत धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पारित किया है।

अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया जो प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण में संबंधित पक्षकारो की बहस सुनी गई।

संक्षिप्त में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भालनी खसरा नंबर 246 रकबा 1.61 हैक्टेयर खसरा नबर 1592 रकबा 1.32 हेक्टेयर खसरा नंबर 1595 रकबा 2.25 हैक्टेयर खसरा नंबर 1594 रकबा 1.84 हैक्टेयर कुल रकबा 7.02 हैक्टेया स्थित है। जिसमें अपीलांट का 1/9 हिस्सा है। जिससे उक्त सम्पूर्ण आराजी में अपीलांट के रकबा 0.78 हैक्टेयर बंट में आराजी आती है।सरहद मौजा हापू की ढाणी में खसरा नंबर 5 रकबा 2.61 हेक्टेयर खसरा नबंर 255 रकबा 0.42 हेक्टेयर व खसरा नंबर 541 रकबा 1.02 हैक्टेयर कुल रकबा 4.05 हैक्टर स्थित है जिसमें भी अपीलांट का 1/9 हिस्सा है, जिसमें अपीलांट के बंट में रकबा 0.45 हैक्टेयर आराजी आती है।सरहद मौजा भालनी व हापू की ढाणी में मिलाकर कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर अपीलांट के बंट में आती है, जबकि सरहद भालनी की भूमि में अपीलांट के हिस्से में 0.78 हैक्टेयर खसरा नंबर 246 में से बंट बंटवाडा अनुसार दी गई तथा सरहद हापू की ढाणी में स्थित भूमि मे रकबा 0.45 हैक्टेयर जो अपीलाट के बंट में आती है।उसे अपीलाधीन बंटवाडा में अपीलांट के खातेदारी में नही रखकर रेस्पोडेन्ट नबंर 2 से 7 के खातेदारी में दर्ज कर दी गई।अपीलांट एक अनपढ व्यक्ति है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 द्वारा धोखे से अपीलांट के बंट की भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज करवाई गई।जो विधि विरूद्ध होने से अपीलांट निम्न आधारो पर अपील पेश करता ।अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बागोडा के

अपीलाधीन बंटवाडा आदेश व बंटवाडा विधि विधान व कानून के विपरित होने से काबिले खारिज है।अपीलांट की आराजी सरहद मौजा हापू की ढाणी में स्थित रकबा 0.45 हेक्टेयर भूमि खातेदारी के अनुसार आती है।परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलांट की खातेदारी भूमि जरिए बंटवाडा के अपीलांट के खातेदारी व बंट में दर्ज नही कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 के खातेदारी में दर्ज करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है।अधीनस्थ अन्यायालय के अपीलाधीन बंटवाडा आदेश व बंटवाडे के जरिए अपीलांट की खातेदारी ही खारिज कर उसके हिस्से की आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 के नाम दर्ज कर दी गई।अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट की खातेदारी बंट की आराजी रेस्पोडेन्ट के बंटवाडा के जरिए दर्ज करने का कोई कानूननीय अधिकार नही था। जिससे अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश व बंटवाडज्ञ विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है।अपीलांट के सरहद मौजा भालनी व हापू की ढाणी में स्थित आराजी में से 1/9 हिस्सा आता है।सरहद मौजा भालनी में कुल अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 के शामलाती भूमि में अपीलांट का 1/9 हिस्सा अनुसार रकबा 0.78 हैक्टेयर भूमि बंट में आई है तथा सरहद मौजा हापू की ढाणी में 1/9 हिस्से के अनुसार अपीलांट के रकबा 0.45 हैक्टेयर आती है।परन्तु सरहद मौजा हापू की ढाणी की भूमि मे से अपीलाधीन आदेश व बंटवाडा के जरिये अपीलांट की खातेदारी ही हटा दी तथा उक्त रकबा 0.45 हैक्टेयर अपीलांट के बंट की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 के नाम से दर्ज कर दी गई।जो कतई कानूनन गलत होने से अपीलाधीन बंटवाडा आदेश व बंटवाडा काबिल खारिज है।अपीलांट एक अनपढ आदमी है तथा इस विश्वास से उक्त बंटवाडा के दस्तावेज पर सहमति दी की अपीलांट के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी व बंट में दर्ज की जावेगी परन्तु अपीलांट के अनपढ होने का फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 ने धोखे से अपीलांट की खातेदारी भूमि सरहद मौजा हापू की ढाणी के रकबा 0.45 हैक्टेयर को अपने नाम से करवाई गई।अपीलांट ने सरहद मौजा हापू की ढाणी के रकबा 0.45 हैक्टेयर अपनी खातेदारी को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 के बंट में देने की कतई सहमति नही दी गई फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अदांज कर अपीलाधीन बंटवाडा आदेश व बंटवाडा जारी करने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है, जो बंटवाडा आदेश व बंटवाडा विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज है।दिनांक 08.10.2017 को अपीलांट अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि सरहद मौजा हापू की ढाणी में स्थित पर रबी की फसल की काश्त करने के लिये गया तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 ने अपीलांट को कहा कि यह आराजी हमारी खातेदारी में दर्ज है, तुम्हारी खातेदारी नही है इसलिए हम तुम्हे इस आराजी में काश्त करने नही देगे।तब अपीलांट ने दिनांक 10.10.2017 को पटवारी हल्का के पास जाकर संबंधित जमाबंदियां व नक्शा ट्रेस की नकले प्राप्त की तब पटवारी हल्का ने बताया कि सरहद हापू की ढाणी की आराजी की खातेदारी में तुम्हारा नाम दर्ज नही है तथा बंटवाडे में आपका नाम हटा दिया गया है।तो अपीलांट दिनांक 12.10.2017 को तहसीलदार बागोडा के कार्यालय में उक्त बंटवाडा की नकल प्राप्त करने के लिये गया।तहसील कार्यालय में प्रार्थी को बताया कि प्रशासन गांवो के संग 2015 का रेकर्ड कहां रखा है,उसका पता करने के बाद आपसे प्रार्थना पत्र लेकर आपको नकल दी जायेगी आप 20 रोज बाद वापस आना ।उसके बाद अपीलांट 20 दिनो के बाद वापस तहसील कार्यालय गया,तो बताया कि अभी तक रेकर्ड नही मिला है,मिलने पर नकल दी जाएगी।उसके बाद भी दो तीन बार अपीलांट तहसील कार्यालय गया,परन्तु रेकर्ड नही मिलने की जानकारी दी गई।उसके बाद दिनांक 07.12.2017 को फिर अपीलांट तहसील कार्यालय उक्त अपीलाधीन आदेश व बंटवाडा की नकल प्राप्त करने हेतु पुन:गया तब अपीलांट को तहसील कार्यालय से बताया गया कि तहसील कार्यालय में संबंधित रेकर्ड नही मिला है, आप पटवारी से जाकर संपर्क करो।तब अपीलांट दिनांक 10.12.2017 को पटवारी हल्का के पास गया एवं उक्त रेकर्ड के संबंध में बात की तो पटवारी हल्का ने दो दिन बाद आने का कहा।तब अपीलांट दिनांक 12.12.2017 को पटवारी हल्का के पास गया,तो पटवारी ने बताया कि रेकर्ड मिल गया है।परन्तु में नकल नही दे सकता आप तहसील कार्यालय में जाकर नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश करो।रेकर्ड मंगाने पर में तहसील में पेश कर दूंगा।तब अपीलांट ने दिनांक 13.12.2017 को उक्त अपीलाधीन बंटवाडा आदेश एवं बंटवाडे की नकल का प्रार्थना पत्र तहसीलदार

के समक्ष पेश किया, तो पटवारी हल्का से उक्त रेकर्ड मंगवाकर मुझ अपीलांट को दिनांक 15.12.2017 को उक्त अपीलाधीन बंटवाडा आदेश व बंटवाडा की नकल उपलब्ध करवाई गई,तब बंटवाडा दिखाने पर अपीलांट को सही रूप से जानकारी हुई।उसके बाद अपीलांट को सर्दी बुखार से तबीयत खराब हो गई, जिससे उक्त अपीलाधीन बंटवाडा आदेश व बंटवाडा प्राप्त करने के बाद अपील पेश करने में 16 दिन की देरी हुई है।तबीयत ठीक होने पर अपीलांट ने अपने वकील से संपर्क कर कानूनी सलाह के आधार पर यह अपील उक्त अपीलाधीन आदेश की व बंटवाडा की नकल प्राप्त कर जानकारी से अन्दर म्याद पेश की जा रही है।अपीलांट के हिस्से कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि को उक्त अपीलाधीन बंटवाडा आदेश एवं बंटवाडा के जरिए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 की खातेदारी में दर्ज करना विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के विपरित होने से अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश तथा बंटवाडा काबिल खारिज है।अत:अपील अपीलांट पेशकर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार बागोडा के बंटवाडा आदेश व बंटवाडा दिनाक 13.07.2015 को अपास्त करने का आदेश फरमावे।

पक्षकारो की बहस सुनी गई।वकील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोराहते हुये कथन किया गया है कि दिनांक 13.07.2015 को प्रशासन गॉव के संग कैम्प भालनी में सरहद मौजा भालनी के खसरा नबंर 246 1592, 1595, 1594, कुल रकबा 7.02 हैक्टर एवं सरहद मौजा हापू की ढाणी के खसरा नंबर 5, 255, 541, कुल रकबा 4.05 हैक्टर का अपासी सहमति से सभी खातेदारो द्वारा बंटवाडे हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार बागोडा द्वारा बंटवाडा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जारी किया गया है।राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार काश्तकारो के अनुसार दोनो ग्रामो की भूमि में अपीलांट का 1/9 हिस्सा बनता है।सम्पूर्ण आराजी में अपीलांट का 1/9 हिस्से अनुसार बंट में रकबा 1.23 हैक्टर बनता है जबकि अपीलांट को 0.78 हैक्टर ही भूमि बंट में दी गई है।जो ग्राम भालनी में स्थित है। शेष रकबा 0.45 हैक्टर भूमि ग्राम हापू की ढाणी में स्थित आराजी में से बंट में मिलनी चाहिये थी।जो बंट में नही मिलने के कारण यह अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कि गई है।दिनांक 08.10.2017 को अपीलांट ग्राम हापू की ढाणी में स्थित अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने गया तब रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 ने अपीलांट को कहां की यहा तुम्हारी खातेदारी नही है।इसलिये काश्त नही करने नही देगे।तब अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का से जानकारी प्राप्त की गई तथा तहसील कार्यालय बागोडा से बंटवाडा की नकल प्राप्त करने पर अपीलांट को बंटवाडे की सही जानकारी हुई कि दिनांक 13.07.2015 को करवाया गया बंटवाडा गलत हुआ है।अपीलांट दोनो ग्रामो में स्थित भूमि में सह-खातेदार दर्ज रहा है।इसके बावजूद भी ग्राम भालनी में ही हिस्से की आराजी बंट में दी गई है।ग्राम हापू की ढाणी में हिस्से अनुसार आराजी बंट में नही दिये जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।अत:अपील स्वीकार कर बंटवाडा आदेश दिनांक 13.07.2015 को निरस्त फरमावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अपील में वर्णित खातेदारी भूमि दोनो ग्रामो में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की शामलाती खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज रही है।सभी खातेदारान काश्तकारान द्वारा बिना किसी दबाव के आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने हेतु अपने अपने अगूठा निशान व हस्ताक्षर कर बंटवाडे हेतु प्रार्थना पत्र संयुक्त रूप से उपस्थित होकर दिनांक 13.07.2015 को प्रशासन गांव के सग कैम्प भालनी में तहसीलदार बागोडा के समक्ष प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र पर सभी खातेदारो की पहचान के रूप में सरपंच ग्राम पंचायत भालनी द्वारा हस्ताक्षर किये गये है।बंटवाडा प्रार्थना पत्र हस्ताक्षर अगूठा निशान के साथ खातेदारो के फोटोयुक्त भी है।अपीलांट द्वारा अपील में यह कथन नही किया गया है कि उक्त बंटवाडा मेरी सहमति के बिना किया गया हो अथवा बंटवाडा आवेदन पत्र पर मेरे अंगुष्ठ निशान नही हो।इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि वक्त बंटवाडा दिनांक 13.07.2015 को अपीलांट उक्त बंटवाडे में उपस्थित रहा है।तथा बिना किसी दबाव के स्वय:द्वारा सहमति दी गई है।करीबन 3 वर्ष बाद बंटवाडे के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील बिना किसी आधार के प्रस्तुत की गई है।जो विधिविरूद्ध होने से खारिज फरमाई जावे।

सरकारी पैरोकार द्वारा भी कथन किया गया है कि उक्त बंटवाडा सभी खातेदारो(रेस्पोडेन्ट) के साथ अपीलांट की सहमति पर ही प्रशासन गांवो के संग अभियान के दौरान लोक अदालत की भावना से यह बंटवाडा तहसीलदार बागोडा द्वारा स्वीकार किया गया है।आपसी संहमति से निर्णित प्रकरण अपील योग्य नही होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस के बिन्दु पर मनन भी किया जिसके अनुसार मौजा भालनी खसरा नंबर 246 रकबा 1.61 हैक्टेयर खसरा नबर 1592 रकबा 1.32 हेक्टेयर खसरा नंबर 1595 रकबा 2.25 हैक्टेयर खसरा नंबर 1594 रकबा 1.84 हैक्टेयर कुल रकबा 7.02 हैक्टेयर व मौजा हापू की ढाणी में खसरा नंबर 5 रकबा 2.61 हेक्टेयर खसरा नबंर 255 रकबा 0.42 हेक्टेयर व खसरा नंबर 541 रकबा 1.02 हैक्टेयर कुल रकबा 4.05 हैक्टर आराजी का सभी खातेदारो द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा करवाये जाने हेतु दिनांक 13.07.2015 को तहसीलदार बागोडा कैम्प भालनी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें खातेदारी विभाजन का प्रस्ताव अंकित कर खातेदारो द्वारा स्वय: के फोटोयुक्त हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान है।खातेदारो की पहचान सरपंच,ग्राम पचायत भालनी द्वारा की हुई है।प्रार्थीगणो द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पटवारी हल्का भालनी व भू.अ.निरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार की गई जिस पर भी सभी खातेदारो के हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान किये हुए है।अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र पर किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नही कर सहमति व्यक्त करने पर ही दिनांक 13.07.2015 को बंटवाडा हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है।अपीलांट द्वारा अपील में ऐसा कोई कथन नही किया है जिससे कि अपीलांट के साथ धोखा धडी कर दबाब में सहमति स्वरूप अंगुष्ठ निशान करवाया गया हो अथवा अपीलांट की बजाय अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अंगुष्ठ निशान अथवा हस्ताक्षर किये गये हो ऐसा कोई तथ्य नही पाया जाने से यह स्पष्ट रूप से साबित हो रहा है, कि अपीलांट द्वारा बंटवाडे हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर बिना किसी दबाब के सहमति पूर्वक अगुष्ठ निशान किया गया है।इस प्रकार अपीलांट द्वारा दिनांक 13.07.2015 को बंटवाडा आवेदन पत्र पर सहमति दिये जाने के बाद तहसीलदार बागोडा द्वारा स्वीकार कर दिनांक 13.07.2015 को जारी किये गये आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह अपील ढाई वर्ष बाद बिना किसी ठोस आधार के प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य सुस्पष्ट है जिसके अनुसार अपीलांट तथा रेस्पोडेन्टस के मध्य आपसी सहमति से लिखित बंटवाडा प्रस्तुत होने पर तहसीलदार बागोडा द्वारा दिनांक 13.07.2015 को आदेश पारित कर उक्त आपसी सहमति से हुए बंटवाडे को न्याय निर्णित किया।तत्पश्चात लगभग ढाई वर्षो की अवधि पश्चात दिनांक 05.01.2018 को उक्त अपील प्रस्तुत कर आपसी सहमति बंटवाडे को बिना किसी ठोस विधिक आधार के चुनौती दी गई है जो विधिक रूप से स्वीकार योग्य नही है।बंटवाडे के संबंध में अपीलांट का ऐसा कोई कथन भी नही है कि सहमति बंटवाडे के कागजात पर उसके हस्ताक्षर फर्जी है या कुटरचित है ऐसी स्थिति में विधिक प्रक्रिया से ढाई वर्ष पूर्व हुए बंटवाडे को चुनौती देने बाबत दायर उक्त अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारीज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय आज 02.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.03 18:40:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: